न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 15/2020 **दायर दिनांकः 06/02/2020**

उनवान

1. पवन कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र श्यामलाल जाति अहीर निवासी छैलाबेल
2. हरिप्रकाश आयु 33 वर्ष पुत्र श्यामलाल जाति अहीर निवासी छैलाबेल
3. निर्मला आयु 38 वर्ष पुत्री श्यामलाल जाति अहीर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. श्यामलाल आयु 70 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाड़ा।

आदेश दिनाकः 26/02/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल छेलाबेल तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 147 के ख0नं0 21 रकबा 4.33 है0 ख0न0 55 का रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 4.68 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है। पेश है जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल छेलाबेल तहसील अटरू जिला बारां के खाता संख्या 148 के ख0नं0 1/667 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 156 रकबा 0.32 है0 ख0नं0 24 रकबा 4.72 है0 ख0नं0 241 रकबा 0.04 है0 ख0नं0 27/668 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 28/669 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 29 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 30 रकबा 3.90 है0 ख0नं0 302 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 303 रकबा 0.30 है0 ख0नं0 307 रकबा 0.03 है0 ख0नं0 310 रकबा 0.36 है0 ख0नं0 311/712 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 76 रकबा 0.21 है0, किता 14 रकबा 10.97 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 शामलाती खाता दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी का हिस्सा 1/4 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से

2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल छेलाबेल तहसील अटरू जिला बारां के खाता संख्या 149 के ख0नं0 257 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 358/696 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 463 रकबा 0.57 है0, ख0नं0 489 रकबा 3.27 है0 किता 4 रकबा 3.91 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1, 2, 3 में वर्णित आराजी में वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से मे अपना नाम समभाग रूप से खाते दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने हिस्से में वादीगण का नाम समभाग रूप से दर्ज कराने से मना कर दिया। कहा कि इस आराजी में तुम्हारा कोई हिस्सा नही है। वाद पत्र की मद न0 1 लगायत 3 में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को आने पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है, जो प्रतिवादी क्रम 1 की पैत्रक सम्पत्ति है। तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 वारिसान है। इसलिए वाद पत्र की मद नं0 1, 2, 3 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में वादीगण का हित निहित है। वादीगण का प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी में हित निहित होने के कारण वाद पत्र की मद नं0 1, 2, 3 में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 की पैत्रक आराजी होने के कारण वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के 1/2 हिस्से की आराजी में 1/8, 1/8 तथा वाद पत्र की मद नं0 2 मे वर्णित आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 के 1/4 हिस्से की आराजी 1/16, 1/16 तथा वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित आराजी में 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है। जिसे बिना सहायता के नही करवाया जा सकता है। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश है राजस्थान सरकार भूमिधारक होने की वजह से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण प्रथम बार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से वाद पत्र की मद नं0 1, 2, 3 में वर्णित पैत्रक आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में समभाग रूप में अपना नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा मना करने पर व लड़ाई झगडा करने व जमीन बैचने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ। पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू के स्थाई निवासी होने के कारण माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1, 2, 3 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी कम 1 के हिस्से की आराजी में वादीगण का नाम समभाग रूप से खाते दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय मे जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 147 कुल किता 2 का कुल रकबा 4.68 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 खाते दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 व वादीगण का हिस्सा 1/8–1/8 बनता है। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 148 कुल किता 14 का कुल रकबा 10.97 है0 आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा खाते दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी में वादीगण का 1/16–1/16 हिस्सा बनता है। वाद पत्र की मद नं0 3 मे वर्णित आराजी खाता संख्या 149 की कुल किता 4 का कुल रकाब 3.91 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। जिसमें वादीगण का 1/4–1/4 व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा बनता है। ग्राम व माल छैलाबेल तहसील अटरू की खाता संख्या 147 कुल किता 4 का कुल रकबा 4.68 है0 में वादी क्रम ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 का व खाता संख्या 148 के कुल 14 किता का कुल रकबा 10.97 है0 आराजी मे वादी क्रम 3 ने अपना हिस्सा 1/16 का व खाता संख्या 149 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.91 है0 आराजी में वादी क्रम 3 ने अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/4 का हकत्याग अपने सगे भाई वादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में बिना प्रतिफल प्राप्त लिए ही कर दिया है। ग्राम माल छैलाबेल के खाता संख्या 147 कुल किता 2 का कुल रकबा 4.48 है0 में वादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 3/16 –3/16 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/8 व खाता संख्या 148 कुल किता 14 का रकबा 10.97 है0 आराजी में वादी क्रम 1 व 2 के 3/32–3/32 व प्रतिवादी क्रम

1 का हिस्सा 1/16 तथा खाता संख्या 149 का कुल किता 4 का कुल खाता 3.91 है0 आराजी में वादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 3/8–3/8 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को दिए जावें। वादीगण हकत्याग का शुल्क नियमानुसार जमा करने के लिए तैयार है।

अतः माननीय न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम माल छैलाबैल के खाता संख्या 147 कुल किता 2 का कुल रकबा 4.68 है0 में वादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 3/16, 3/16 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/8 व खाता संख्या 148 कुल 1 किता 14 का रकबा 10.97 है0 में वादी क्रम 1 व 2 के 3/32–3/32 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/16 तथा खाता संख्या 149 का कुल किता 4 का कुल रकबा 3.91 है0 आराजी में वादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 3/8 3/8 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को दिये जाने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाड़ा द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम छैलाबैल के खाता संख्या 147 किता 2 रकबा 4.68 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज है। छैलाबेल के खाता संख्या 148 किता 14 रकबा 10.97 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 दर्ज है। छैलाबेल खाता संख्या 149 की किता की 4 रकबा 3.91 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा सम्पूर्ण दर्ज है। रहन कोटा सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा अटरू दर्ज है। जो पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का हिस्सा निहित है।

अतः आपसी सहमति से न्यायहित में वादीगण वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छैलाबैल की खाता संख्या 147 कुल किता 2 का कुल रकबा 4.68 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 में वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। ग्राम छैलाबेल की खाता संख्या 148 किता 14 का रकबा 10.97 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 में वादी क्रम 1

ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/16–1/16 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। ग्राम छेलाबेल की खाता संख्या 149 किता 4 रकबा 4.68 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज किया जावें। खाता संख्या 147 किता 4 का कुल रकबा 4.68 है0 में से वादी क्रम 3 ने सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 व खाता संख्या 148 की किता 14 कुल रकबा 10.97 है0 में से वादी क्रम 3 का हिस्सा 1/6 व खाता संख्या 149 किता 4 कुल रकबा 3.91 मे से वादी क्रम 3 द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 का हक त्याग अपने भाई वादी क्रम 1 व 2 के पक्ष मे बिना प्रतिफल प्राप्त किये कर दिया है।

अतः ग्राम माल छैलाबेल की खाता संख्या 147 किता 2 रकबा 4.68 है0 में वादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 3/16–1/16 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/8 व खाता संख्या 148 किता 14 रकबा 10.97 है0 में वादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 3/32–3/32 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/16 तथा खाता संख्या 149 का किता 4 कुल रकबा 3.91 है0 में वादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 3/8–3/8 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 रहन कोटा सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा अटरू राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश हकत्याग शुल्क जमा कराने की शर्त दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 15/2020

उनवान

1. पवन कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र श्यामलाल जाति अहीर निवासी छैलाबेल
2. हरिप्रकाश आयु 33 वर्ष पुत्र श्यामलाल जाति अहीर निवासी छैलाबेल
3. निर्मला आयु 38 वर्ष पुत्री श्यामलाल जाति अहीर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. श्यामलाल आयु 70 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाड़ा।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम छैलाबैल की खाता संख्या 147 कुल किता 2 का कुल रकबा 4.68 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 में वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। ग्राम छैलाबेल की खाता संख्या 148 किता 14 का रकबा 10.97 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 में वादी क्रम 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/16–1/16 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। ग्राम छेलाबेल की खाता संख्या 149 किता 4 रकबा 4.68 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज किया जावें। खाता संख्या 147 किता 4 का कुल रकबा 4.68 है0 में से वादी क्रम 3 ने सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 व खाता संख्या 148 की किता 14 कुल रकबा 10.97 है0 में से वादी क्रम 3 का हिस्सा 1/6 व खाता संख्या 149 किता 4 कुल रकबा 3.91 मे से वादी क्रम 3 द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 का हक त्याग अपने भाई वादी क्रम 1 व 2 के पक्ष मे बिना प्रतिफल प्राप्त किये कर दिया है।

अतः ग्राम माल छैलाबेल की खाता संख्या 147 किता 2 रकबा 4.68 है0 में वादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 3/16–1/16 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/8 व खाता संख्या 148 किता 14 रकबा 10.97 है0 में

वादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 3/32–3/32 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/16 तथा खाता संख्या 149 का किता 4 कुल रकबा 3.91 है0 में वादी क्रम 1 व 2 का हिस्सा 3/8–3/8 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 रहन कोटा सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक शाखा अटरू राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश हकत्याग शुल्क जमा कराने की शर्त दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.23 11:35:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: